



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,

मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर-303001

दूरभाष 0141-2374644

क्रमांक एफ-4 / मु. / याता / (लेखा) / 98 / 2024 / 127

दिनांक:- 24-09-2024

कार्यालय आदेश

शासन उप सचिव, परिवहन, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प.17 (10)परि/2024(8057) जयपुर दिनांक 18.09.2024 एवं वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 162401577 दिनांक 10.09.2024 के द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम 2008 के नियम 11 में संशोधन अनुसार लोकतंत्र सेनानियों को राजस्थान परिवहन निगम की लोकल एवं एक्सप्रेस बसों (जहाँ तक संचालित है) में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है।

यह सुविधा सक्षम स्तर से जारी मीसा/डी.आइ.आर./सी.आर.पी.सी. पेंशन प्रपत्र के आधार पर निगम द्वारा जारी आर.एफ.आई.डी. कार्ड के माध्यम से देय होगी।

इस रियायती यात्रा से निगम पर पड़ने वाले वित्तीय भार की गणना पूर्वानुसार आदेश संख्या एफ 4/मु./याता./लेखा/2011/1335 दिनांक 07.06.2011 के अनुसार करते हुये प्रतिमाह अन्य निःशुल्क/रियायती यात्राओं के वित्तीय भार की सूचनाओं के विवरण के साथ सांख्यिकी शाखा, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित की जावेगी, जिसके आधार पर उक्त राशि के पुर्नभरण हेतु राज्य सरकार को सूचना भिजवाई जावेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ. ज्योति चौहान)

कार्यकारी निदेशक (यातायात)

दिनांक:- 24-09-2024

क्रमांक:- एफ-4 / मु. / याता / लेखा / 110 / 2024 / 127

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदया, रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय, रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, परिवहन, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को प.17 (10)परि/2024(8057) जयपुर दिनांक 18.09.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त विभागाध्यक्ष (.....), रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त जौनल मैनेजर्स (.....), रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक/सयुक्त महाप्रबन्धक (.....), रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
7. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक (.....), रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
8. उप महाप्रबन्धक (आई.टी.), रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित आदेश वेबसाईट पर उपलब्ध कराना एवं तदनुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावे।
9. मुख्य प्रबन्धक(.....), रा.रा.प.प.निगम।

कार्यकारी निदेशक (यातायात)

Document certified by Jyoti Chauhan <jyoti1in@gmail.com>.

Digitally Signed by JYOTI CHAUHAN

Designation: Executive Director

Date: 24-09-2024 06:42:51